



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 251 राँची, गुरुवार, 14 वैशाख, 1938 (श०)  
4 मई, 2017 (ई०)

---

### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----  
अधिसूचना

2 मई, 2017

संख्या- 6 बी०/न०वि०/निविदा समिति-02/2015- 2975-- नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3873 दिनांक 28 अगस्त, 2014 की कंडिका-7.2 में निम्न प्रावधान हैं :-

(क) क्रमांक-1 (ए) में प्रावधानित है कि स्थानीय निकाय स्तर पर निकाय अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रोक्युरमेंट समिति निविदा निस्तार हेतु सक्षम होगी ।

(ख) क्रमांक- 2 में प्रावधानित है कि नगर निगम स्तर पर महापौर की अध्यक्षता में गठित प्रोक्युरमेंट समिति के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, नगर निगम प्रोक्युरमेंट समिति के सदस्य होंगे ।

उक्त प्रोक्युरमेंट समिति के अध्यक्ष, संबंधित स्थानीय निकाय/निगम के अध्यक्ष/महापौर के रहने की स्थिति में, राजनैतिक कारणों एवं पार्षदों तथा जनता के दबाव के कारण, निविदा के निस्तारण में विलम्ब होता है, फलतः शहरी विकास से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन में व्यवधान उत्पन्न होता है ।

2. उक्त के आलोक में संकल्प ज्ञापांक-3873 दिनांक 28 अगस्त, 2014 की कंडिका-7.2 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

क्र० सं०	संकल्प ज्ञापांक-3873 दिनांक 28 अगस्त, 2014 की कंडिका-7.2 के प्रावधान	संशोधन
1.	7.2 क्रमांक-1 (ए) स्थानीय निकाय स्तर पर निकाय अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रोक्युरमेंट समिति ।	स्थानीय निकाय स्तर पर कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित प्रोक्युरमेंट समिति । उक्त प्रोक्युरमेंट समिति हेतु निविदाओं के निष्पादन के लिए एक सप्ताह की अवधि निर्धारित होगी । तीन से अधिक दिनों तक राजपत्रित अवकाश की स्थिति में 15 दिनों की अधिकतम अवधि निर्धारित होगी ।
2.	7.2 क्रमांक-2 राँची, धनबाद एवं देवघर नगर निगम स्तर पर महापौर की अध्यक्षता में गठित प्रोक्युरमेंट समिति के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, नगर निगम प्रोक्युरमेंट समिति के सदस्य होंगे।	नगर निगम स्तर पर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित प्रोक्युरमेंट समिति के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, नगर निगम प्रोक्युरमेंट समिति के सदस्य होंगे । उक्त प्रोक्युरमेंट समिति हेतु निविदाओं के निष्पादन के लिए एक सप्ताह की अवधि निर्धारित होगी । तीन से अधिक दिनों तक राजपत्रित अवकाश की स्थिति में 15 दिनों की अधिकतम अवधि निर्धारित होगी ।
3.	मुख्यालय स्तर पर निदेशक, नगरीय प्रशासन की अध्यक्षता में गठित प्रोक्युरमेंट समिति, जिसमें मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार एवं संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य होंगे ।	मुख्यालय स्तर पर निदेशक, नगरीय प्रशासन की अध्यक्षता में गठित प्रोक्युरमेंट समिति, जिसमें मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार एवं संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य होंगे । निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय की अध्यक्षता में गठित प्रोक्युरमेंट समिति हेतु निविदाओं के निष्पादन के लिए अधिकतम 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित होगी । निर्धारित अवधि में निविदा का निष्पादन नहीं करने पर, उक्त निविदा का निष्पादन विभागीय निविदा समिति के द्वारा किया जायेगा ।

3. यह सद्यः प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**भवानी प्रसाद लाल दास,**  
सरकार के विशेष सचिव ।

-----